HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 23152 of 2026

Nasruddin Ali

.....Petitioner(s)

Versus

State Of Up And 2 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	M.J. Akhtar
Counsel for Respondent(s)	:	G.A.

Court No. - 48

HON'BLE CHANDRA DHARI SINGH, J.
HON'BLE TARUN SAXENA, J.

1. The instant writ petition has been filed by the petitioners with following main reliefs:-

"I) Issue a writ, order or direction in the nature of certiorari to quash the impugned FIR dated 17.08.2026 in Case Crime No. 292 of 2026, under Sections 319(2), 318(4), 338, 336(4), 336(3), 340(2) BNS, 2023 and Section 12(1)(B) of Passport Act, 1967, Police Station Kaptanganj, District Kushinagar.

II) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing to respondents not to arrest the petitioners in pursuance to the impugned F.I.R. and not adopt any coercive action against the petitioners."

2. Learned counsel appearing on behalf of petitioner submitted that the informant has not conducted any inquiry according to the provisions of the Passport Act, 1967. It is submitted that there is no record available, whatever inquiry was conducted and report was submitted by the Inquiry Officer before lodging the F.I.R. It is further submitted that the entire proceeding against petitioner is *mala fide* and for extraneous consideration. It is next submitted that the petitioner has been falsely implicated in the instant case and he has not committed any offence as alleged in the impugned F.I.R. It is submitted that the impugned F.I.R. is nothing but gross misuse of process of law and in view of the above-said facts the impugned F.I.R. may be quashed.

3. *Per contra,* learned A.G.A. for the State submitted that after plain reading of F.I.R., *prima facie,* the cognizable offence is made out against the petitioner. The petitioner has failed to make out any case warranting interference by this Court for quashing the F.I.R. In view of the nature of the allegations and the material disclosed in the F.I.R., it is submitted that the petitioner is not entitled to any discretionary relief under Article 226 of the Constitution of India.

4. We have heard learned counsel for the petitioner and learned Additional Government Advocate for the State-respondents. We have perused the pleadings, the material available on record, the contents of the impugned First Information Report are reproduced here-in-below:

"First Information Report

सेवा में, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर महोदय, निवेदन है कि लखनऊ के पत्र संख्याः कृपया वरिष्ठ अधीक्षक (पलिसी), क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पाका/लख/पलिसी/2025/पासपोर्ट सं0-19820008 *W5390651* दिनांक 23.09.2025 के माध्यम से पासपोर्ट धारक तबरेज अहमद / मोहम्मद तबरेज अंसारी व पत्र संख्याः पाका/लख/पलिसी/2026/पासपोर्ट सं0-*M7692105 W8163933* दिनांक- 25.05.2026 के माध्यम से पासपोर्ट धारक लक्ष्मन प्रजापति पुत्र मोती प्रजापति पता-सतभारिया, पोस्ट-गौनरिया, जनपद कुशीनगर व पत्र संख्याः पाका/लख/पलिसी/2026/पासपोर्ट सं0- 13850967 *P7494439* दिनांकः 28.04.2026 के माध्यम से पासपोर्ट धारक आलोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेन्द्र गुप्ता, ग्रा व पो- कुन्दूर वाया बोदरवार, कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर तथा पत्र संख्याः पाका/लख/पलिसी/2026/पासपोर्ट सं0- *L6835466 P7974503* दिनांकः 07.04.2026 के माध्यम से नसरुद्दीन अली पुत्र फरजान अली, ग्राम व पोस्ट- मुण्डेरा, थाना- कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर द्वारा कूटरचित दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि के साथ अपने व्यकितगत विवरण (नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, जन्मतिथि व पता) में परिवर्तन कर दो या दो से अधिक पासपोर्ट बनवा लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में सघन जांच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही का आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिसके क्रम में उक्त प्रकरण की जांच मुझ उप निरीक्षक द्वारा किया गया तो ज्ञात हुआ कि पासपोर्ट धारक तबरेज अहमद पुत्र लक्मुद्दीन अहमद थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ने अलग-अलग समय पर अपने व्यक्तिगत विवरणों (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि) में जानबूझकर बदलाव कर दो पासपोर्ट बनवाया गया जिनका विवरण इस प्रकार है प्रथम पासपोर्ट संख्याः 19820008 जारी तिथि 25.07.2014, समाप्ति 24.07.2024, द्वितीय पासपोर्ट संख्याः *W5390651* जारी तिथि 16.12.2022, समाप्ति 15.12.2032 है। जाँच के दौरान यह पाया गया कि पासपोर्ट धारक ने अपने आधार कार्ड, और अन्य पहचान पत्रों में कूटरचना कर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को गुमराह किया और नियम विरुद्ध तरीके से दूसरा पासपोर्ट प्राप्त किया। आवेदक द्वारा किया गया यह कृत्य दण्डनीय अपराध है। आवेदक के पास भिन्न-भिन्न क्रमांक के दो पासपोर्ट होने की

पुष्टि पूर्ण रूप से होती है। इसी प्रकार पासपोर्ट धारक नसरुद्दीन अली पुत्र फरजान ग्राम मुण्डेरा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट प्राप्त करने की शिकायतों की गहन जांच की गई तो जाँच के दौरान पाया गया पासपोर्ट धारक नसरुद्दीन अली पुत्र फरजान ग्राम मुण्डेरा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ने अलग-अलग समय पर अपने व्यक्तिगत विवरणों (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि) में जानबूझकर बदलाव कर दो पासपोर्ट बनवाया गया जिनका विवरण इस प्रकार है प्रथम पासपोर्ट संख्या: 16835466 जारी तिथि 13.01.2014, समाप्ति 12.01.2024, द्वितीय पासपोर्ट संख्या: *P7974503* जारी तिथि 16.02.2017, समाप्ति 15.02.2027 है। अत: जाँच के दौरान यह पाया गया कि पासपोर्ट धारक ने अपने आधार कार्ड, और अन्य पहचान पत्रों में कूटरचना कर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को गुमराह किया और नियम विरुद्ध तरीके से दूसरा पासपोर्ट प्राप्त किया। आवेदक द्वारा किया गया यह कृत्य दण्डनीय अपराध है। आवेदक के पास भिन्न-भिन्न क्रमांक के दो पासपोर्ट होने की पुष्टि पूर्ण रूप से होती है। इसी क्रम में पासपोर्ट धारक आलोक कुमार गुप्ता पुत्र महेन्द्र गुप्ता ग्राम कुन्दुर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट प्राप्त करने की शिकायतों की जांच की गई। जाँच के दौरान पाया गया पासपोर्ट धारक आलोक कुमार गुप्ता पुत्र महेन्द्र गुप्ता ग्राम कुन्दुर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ने अलग-अलग समय पर अपने व्यक्तिगत विवरणों (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि) में जानबूझकर बदलाव कर दो पासपोर्ट बनवाया गया जिनका विवरण इस प्रकार है प्रथम पासपोर्ट संख्या: 33850967 जारी तिथि 09.11.2010, समाप्ति 08.11.2020, द्वितीय पासपोर्ट संख्या: *P7494439* जारी तिथि 31.01.2017, समाप्ति 30.01.2027 है। अत: जाँच के दौरान यह पाया गया कि पासपोर्ट धारक ने अपने आधार कार्ड, और अन्य पहचान पत्रों में कूटरचना कर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को गुमराह किया और नियम विरुद्ध तरीके से दूसरा पासपोर्ट प्राप्त किया। आवेदक द्वारा किया गया यह कृत्य दण्डनीय अपराध है। आवेदक के पास भिन्न-भिन्न क्रमांक के दो पासपोर्ट होने की पुष्टि पूर्ण रूप से होती है। इसी क्रम में पासपोर्ट धारक लक्ष्मन प्रजापति पुत्र मोती प्रजापति निवासी महुआ सतभरिया थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट प्राप्त करने की शिकायतों की गहन जांच की गई। जाँच के दौरान पाया गया पासपोर्ट धारक श्री लक्ष्मन प्रजापति पुत्र मोती प्रजापति निवासी महुआ सतभरिया थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ने अलग-अलग समय पर अपने व्यक्तिगत विवरणों (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि) में जानबूझकर बदलाव कर दो पासपोर्ट बनवाया गया जिनका विवरण इस प्रकार है प्रथम पासपोर्ट संख्या: *M7692105* जारी तिथि 20.03.2015, समाप्ति 19.03.2025, द्वितीय पासपोर्ट संख्या: *W8163933* जारी तिथि 23.12.2022, समाप्ति 22.12.2032 है। अत: जाँच के दौरान यह पाया गया कि पासपोर्ट धारक ने अपने आधार कार्ड, और अन्य पहचान पत्रों में कूटरचना कर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को गुमराह किया और नियम विरुद्ध तरीके से दूसरा पासपोर्ट प्राप्त किया। आवेदक द्वारा किया गया यह कृत्य दण्डनीय अपराध है। आवेदक के पास भिन्न-भिन्न क्रमांक के दो पासपोर्ट होने की पुष्टि पूर्ण रूप से होती है। अत: उक्त प्रकरण में उपरोक्त पासपोर्ट धारको द्वारा पासपोर्ट प्राधिकारी को गलत भ्रामक सूचना देकर एक से अधिक पासपोर्ट प्राप्त किया है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4) ,338,336(3),336(4),340(2) तथा पासपोर्ट एक्ट-1967 की धारा 12 (1) बी के अन्तर्गत अपराध है अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे"

5. The Supreme Court in the case of ***Muskan vs. Ishaan Khan (Sataniya) and others; 2025 INSC 1287***, has held that the Courts are not expected to

hold a mini trial in order to verify the allegations which have been levelled in the FIR. For the sake of convenience, relevant observations of the Supreme Court in the case of ***Muskan (Supra)*** is reproduced below:-

"*We are of the view that the High Court has erred in law by embarking upon an enquiry with regard to credibility or otherwise of the allegations in the complaints and the FIR. Normally, for quashing an FIR, it must be shown that there exists no prime facie case against the accused persons. In the present case, from the conjoint reading of the complaints and the FIR, it can be seen that prime facie allegations of harassment and demand of dowry are made out, despite that the High Court quashed the FIR against the private respondents primarily on the ground that the earlier two complaints that were filed by the appellant did not mention the specific instances that happened on 22.07.2021 and 27.11.2022 and the same were later on mentioned in the FIR only as an afterthought and was a counterblast to the legal notice sent by respondent no.1/husband to the appellant as she was not coming back to her matrimonial home. This approach adopted by the High Court, in our considered opinion, amounts to conducting a mini trial."*

6. The plain reading of FIR discloses that allegation of obtaining two passports using forged or fabricated documents against the petitioner. Thus, this Court is of the view that since the allegations made in the FIR *prima facie* disclose commission of cognizable offence, at this stage this Court can not embark upon an inquiry into the correctness of the allegations made in the FIR in exercise of its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India.

7. It is well settled by the Supreme Court in the leading case of ***State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335***, that the extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India or the inherent jurisdiction for quashing criminal proceedings is to be exercised sparingly and with circumspection, and only in the rarest of rare cases where the allegations, even if taken at their face value, do not disclose the commission of any cognizable offence or where the case falls within any of the

exceptional categories enumerated therein.

8. Taking into consideration the allegations contained in the impugned F.I.R., the submissions advanced by learned counsel for the parties and the settled legal principles governing the exercise of writ jurisdiction in matters relating to quashing of criminal proceedings as well as considering the judgments of the Supreme Court in the cases of ***Muskan (Supra)*** *and* ***Bhajan Lal (Supra)***, we are of the considered opinion that no case for interference under Article 226 of the Constitution of India is made out. The First Information Report discloses *prima facie* commission of cognizable offences. The defence taken that the petitioner has been falsely implicated all depend on appreciation of evidence. They are to be put to the test before the trial court. This Court does not find any exceptional circumstance warranting exercise of its extraordinary writ jurisdiction for quashing of the impugned F.I.R. or for issuing a direction in the nature of mandamus, as prayed.

9. Consequently, the writ petition, being devoid of merit, is hereby **dismissed**.

October 27, 2026
Atul

(Tarun Saxena,J.) (Chandra Dhari Singh,J.)

Digitally signed by :-
ATUL KUMAR SRIVASTAVA
High Court of Judicature at Allahabad